

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.28()परावि/पं.प्र.अ./जाँच/प्रशा.2/2007/580 जयपुर,दिनांक: 27/03/2020

:: आदेश ::

श्री बृजेन्द्र सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, तत्कालीन जिला परिषद झुंझुनू को कार्यालय जिला परिषद झुंझुनू के आदेश 2938-43 दिनांक 24.05.2007 द्वारा निलम्बित किया गया को विभागीय आदेश क्रमांक 2480 दिनांक 29.06.2007 द्वारा जाँच विचाराधीन रखते हुए निलम्बन से बहाल किया गया था।

प्रकरण में श्री बृजेन्द्र सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी के विरुद्ध विभागीय ज्ञापन क्रमांक 2404 दिनांक 28.05.2018 द्वारा 17 सीसीए में विचाराधीन प्रकरण को आदेश 1850 दिनांक 20.05.2019 द्वारा मौखिक चेतावनी के समाप्त किया गया एवं ज्ञापन क्रमांक 2405 दिनांक 28.05.2018 द्वारा 17 सीसीए में विचाराधीन प्रकरण को आदेश 3282 दिनांक 09.09.2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

अतः श्री बृजेन्द्र सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी की निलम्बन अवधि को नियमित किया जाकर उक्त अवधि के बकाया समस्त परिलाभ दिये जाने की सहमति प्रदान की जाती हैं।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झुंझुनू/ भरतपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति नगर, जिला भरतपुर।
4. श्री बृजेन्द्र सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, तत्कालीन जिला परिषद झुंझुनू हाल पंचायत समिति नगर, जिला भरतपुर।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-II